23/2022/I/147013/2022-71-2099/258/2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2022**

विषयः-के0जी0एम0यू0 कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्पिटल एवं आवास के निर्माण संबंधी प्रायोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि स्वीकृत प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-11122/**योजना अनु**0/2022**, दिनांक** 13.01.2022 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्पिटल एवं आवास के निर्माण संबंधी प्रायोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- **अवगत कराना है कि के0जी0एम0यू0 के कम्युनिटी मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्टल एवं आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित मूल एवं पुनरीक्षित लागत रू0** 639.77 **लाख के सापेक्ष अबतक निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा रू0** 639.77 **लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है**:-

क्र0	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**अवमुक्त धनराशि (लाख में)**
1	333/71-2-2013-**केजीएमयू**-4/2013, **दिनांक** 15-3-2013	197.41
2	88/2015/3418/71-2-15-**केजीएमयू**-4/2013, **दिनांक** 02-11-15	233.93
3	95/2015/3985/71-2-15-**केजीएमयू**-4/2013, **दिनांक** 02-11-15	62.19
4	124/2018/2121/71-2-18-**केजीएमयू**-4/2013, **दिनांक** 27-9-18	115.53
5	125/2018/2908/71-2-18-**केजीएमयू**-4/2013, **दिनांक** 27-9-18	30.71
	योग-	**639.77**

3- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष के0जी0एम0यू0 कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग के माती सेन्टर पर हास्पिटल भवन तथा हास्पिटल एवं आवास के निर्माण संबंधी प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 639.77 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवमुक्त की गयी**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि रू0 146.24 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद की धनराशि रू0 25,75,724/- (रू0 पच्चीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ चौबिस) की प्रतिपूर्ति अनुदान संख्या- 31 से किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/ परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7) जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
8) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।
9) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि रू0 25,75,724/- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धाक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-53 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
8. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन।
9. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 छठा तल, योजना भवन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 23
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/15/2022 10:40:00 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/15/2022 10:40:00 AM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 3/15/2022 10:40:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 729 (approx.)
Number of Characters: 4,161 (approx.)